न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1886–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 419/2005–06/अपील.

.....

जमाल खॉ पुत्र श्री मंगल खॉ
निवासी ग्राम ओहदपुर तहसील
व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर
2–रामस्वरूप पुत्र स्व.गौरीशंकर (मृत)
3–रतीराम पुत्र स्व.गौरीशंकर (मृत)
निवासीगण ग्राम ओहदपुर तहसील व
जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री सौरभ जैन, अभिभाषक–आवेदक

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–06–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि जॉच दल द्वारा जॉच उपरांत तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ओहदपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 330 पर आवेदक जमाल खॉ के पिता मंगल खॉ का नाम

सम्बत् 2002 से अनाधिकृत रूप से दर्ज है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 275/1995–96/अ–6–अ दर्ज कर दिनांक 1–7–1998 को आदेश पारित करते हुये मंगल खॉ का नाम प्रश्नाधीन भूमि से हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–04–2006 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त करते हुये तहसील को निर्देश दिये गये कि प्रश्नाधीन भूमि पर मंगल खॉ का नाम किस आदेश से दर्ज हुआ, इसकी विस्तृत जॉच कर संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–06–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में पेशी दिनांक 9–3–2016 को आवेदक के पुत्र ने उपस्थित होकर 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं शासन की ओर से प्रस्तुत तर्को के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक के पिता मंगल खॉ का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर सम्बत् 1997 में गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज था और सम्बत् 2004 तक दर्ज रहा । सम्बत् 2007 का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और सम्बत् 2008 में आवेदक के पिता का नाम काटकर दूसरी स्याही से अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट रिकार्ड कीपर ने दी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) आवेदक के पिता का नाम वर्ष 2008 तक मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज रहने के कारण उसे पक्के कृषक के हक प्राप्त हो गये थे, परन्तु अनावेदक कमांक

3 ने पटवारी से मिलकर आवेदक क पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया है, इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) सम्बत् 1997 से 2004 तक के खसरे उपलब्ध है जिनमें आवेदक के पिता का नाम दर्ज है । सम्बत् 2005 में जमींदार का नाम लिखा गया है । सम्बत् 2007 का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक के स्वत्व के संबंध में जॉच कर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पिता का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अवैधानिक रूप से दर्ज किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है, अतः तहसीलदार के समक्ष आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम अनाधिकृत रूप से दर्ज किया गया है, क्योंकि आवेदक के पिता मंगल खॉ को प्रश्नाधीन भूमियों का पटटा 6 वर्ष के लिये दिया गया था और आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 6 वर्ष के बाद मंगल खॉ को दिये गये पटटे की वृद्धि की गई हो । जहॉ तक अनावेदक कमांक 2 का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने का प्रश्न है, प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदक कमांक 2 का नाम भी किस प्रकार दर्ज हुआ, इसका कोई उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं

है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति के संबंध में जॉच करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–06–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर